

No.1(12)/CLCSS/MISC/Fake Loans/2020-21

भारत सरकार

रूती, क़टिच आर तालाना: बिरित उथनाव

कमिशनार ऑफिस (एम.एस.एम.ई.)

7 फ़्लोर, अ विंग  
निरमान भवन, नई दिल्ली  
माहित् 18 सितम्बर, 2020

### ए:डेकोठेन हुंसयार

रूती, क़टिच आर तालाना: बिरित मंत्रालय बाडाय केदाय जे किछुगान बाडइमानदारी होइको दो, होइको साँव जोपोड़ाव दोहोकाते, आलगाते टाका ओडोक लागित् ते, बाहनाबाजी काते लोन टाका एम दो रूती, क़टिच आर तालाना: बिरित मंत्रालय रे आडी लेकान पानथा मेना: आ।

नोवा गे लाय एदाय जे, रूती, क़टिच आर तालाना: बिरित मंत्रालय, भारत सरकार ठेन, ओका हों, सोझे ते, एकला लाभ लागित् ते जोमा पानथा दो बनू आनाड, मंत्रालय पानथा रेदो सानाम जोमा पानथा दो बैंक, क़वडी संस्थान ते हुयू: आ। जाहाँय गे एकला ते एम.एस.एम.ई. रे लोन लागित् ते नेहोर साकाम ए एमा उनकू दो सुर रेनाड ठावका आकान बेपारिया बैंक साँव जोपोड़ाव को दोहोया। बाडखान आलेय -

Website viz. <https://msme.gov.in>, <http://dcmsme.gov.in> and <https://champions.gov.in>

एम.एस.एम.ई. मंत्रालय दो हुसयार, फ़ाँसाव रासिया होइको दो, नोडकान ओफार कोदो, ए:डेकोदो सोझे आर बाडखान वेबसाइट/फोन कॉल एमान तेया: ते एम.एस.एम.ई. मंत्रालय दो आरहों एडवाईस एम एदाय फ़ाँसावको रासिया होइको दो बायकामी येदा। उनकुवा: क़वडीहान दो आर मंत्रालय दो नोडकाना दो बाय लेखाया।

सं. 1(12)/सीएलसीएसएस/विविध/फेक लोन/2020-21

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

\*\*\*\*\*

सातवां तल, ए विंग  
निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 18 सितम्बर, 2020

### धोखाधड़ी की चेतावनी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि कुछ आपराधिक तत्व मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सीधे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से ऋण दिलाने के बहाने लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं और उनसे धन की वसूली कर रहे हैं।

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अपनी किसी भी प्रकार की क्रेडिट स्कीमों के लिए व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क नहीं करता है। मंत्रालय की सभी क्रेडिट स्कीमों में केवल बैंकों/वित्तीय संस्थानों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। एमएसएमई ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अपने नजदीकी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट स्कीमों का सम्पूर्ण ब्यौरा हमारी वेबसाइट अर्थात् <https://msme.gov.in>, <http://dcmsme.gov.in> तथा <https://champions.gov.in> पर उपलब्ध है।

एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों तथा जनसामान्य को आगाह करता है कि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा सीधे अथवा वेबसाइट/फोन कॉल आदि के जरिए की जाने वाली ऐसी पेशकशों का शिकार न बनें। एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों तथा जनसामान्य को यह भी सुझाव देता है कि ऐसे धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थानों के सम्पर्क में आने से उनको वित्तीय नुकसान हो सकता है और मंत्रालय इसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

\*\*\*\*\*

No. 1(12)/CLCSS/Misc/Fake Loans /2020-21  
**Government of India**  
**Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises**  
**Office of the Development Commissioner (MSME)**  
\*\*\*\*\*

7<sup>th</sup> Floor, A wing,  
Nirman Bhawan, New Delhi  
Dated: 18<sup>th</sup> September 2020

**FRAUD ALERT**

It has come to the notice of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that some unscrupulous elements are contacting people and extorting money on the pretext of facilitating them with loans directly from the Ministry of MSME under various schemes of the Ministry.

It is hereby informed that the Ministry of MSME, Government of India, does not directly deal with individual beneficiaries for any its credit schemes. All the credit schemes of the Ministry are implemented through Banks/Financial Institutions only. Individuals who want to apply for the MSME loans/credit facilities should contact their nearest Scheduled Commercial Banks. All the details of the credit schemes of the Ministry of MSME are available on our websites viz. <https://msme.gov.in>, <http://dcmsme.gov.in> and <https://champions.gov.in>.

Ministry of MSME cautions entrepreneurs and members of the public not to fall prey to such offers made by such fraudsters either directly or through website/phone calls etc. Ministry of MSME further advises entrepreneurs and members of public that dealing with such fraudulent individuals/institutions could cause financial loss to them and the Ministry shall not be in any way accountable for the same.

\*\*\*\*\*